राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
शासन सचिवालय, जयपुर

(Ph:–0141–2227229,Email ID:- pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ 5(8)ग्रावि/अनु–8/जि.प्र.निरीक्षण/2019 जयपुर, दिनांक : 11/08/2021

–::संशोधित आदेश ::–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभागएवं मुख्य सचिव महोदय के पत्र दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र दिनांक 08.04.2015 द्वारा जिलों में आमजन की सुनवाई, परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण एवं शासन में पारदर्शिता की दृष्टि से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए दौरे, निरीक्षण, रात्रि विश्राम के मानदण्ड एवं लक्ष्य निर्धारित करते हुये भ्रमण–निरीक्षणहेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त की पालना में ग्रामीण विकास की संचालित योजनाओं की सफल क्रियान्विति, गुणात्मक परिसम्पति सृजन, आकर्षक आधारभूत ढांचा विकसित करने, योजनाओं की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय अधिकारियों को जिला प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 19.01.2021 के जिला प्रभारी अधिकारी सूची में आंशिक संशोधन कर (प्रति संलग्न) निम्नानुसार नवीन निर्देश जारी किये जाते हैं।

वस्तुतः प्रत्येक अधिकारी अपने पदस्थापन के अनुसार विभाग अथवा कार्यालय में दिये गये दायित्वों, योजनाओं, कार्यक्रमों व अन्य कार्यों को भी देखता है। ऐसे में उसे जिला प्रभारी के रूप में जिले अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने के अतिरिक्त कार्यालय में दिये गये अपने मूल दायित्व की भी मॉनिटरिंग या पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है, जो कि किसी एक जिले से संबंधित न होकर विभिन्न जिलों से संबंधित हो सकते हैं। ऐसे में उनके भ्रमण–निरीक्षण का दायित्व इस प्रकार विकसित करना होगा कि वह दोनों प्रकार के दायित्वों का समुचित निर्वहन कर सके। इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित होगी–

1. वर्तमान स्तर पर प्रतिमाह अपने आवंटित जिले में भ्रमण, निरीक्षण आवश्यक माना गया है, जिसमें ये ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा व निरीक्षण का कार्य करेंगे। इसमें भ्रमण के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे इस भ्रमण के क्रम में उनको आवंटित जिले के साथ–साथ उस जिले के संलग्न निकटतम जिलों में अपने मूल दायित्व के अधीन योजनाओं की समीक्षा व निरीक्षण का कार्य करें, ताकि उनके कार्यालय दायित्वों में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सके और उनमें आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके।
2. इस प्रकार एक भ्रमण–निरीक्षण में ही सामान्यतः दो से तीन जिले सरलतापूर्वक पूरे किये जा सकते हैं। चूंकि मुख्यालय स्तर पर अनेक राज्य स्तरीय बैठकों व कार्यों के कारण कई बार उस मास इनका जाना संभव नहीं हो पाता, तो वे अगले माह में भ्रमण की योजना बना सकते हैं। जिसमें वे एक साथ अधिक जिलों का कवर कर सके। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे त्रैमासिक रूप से कम से कम पांच जिलों का भ्रमण निरीक्षण करें और इसका रोटेशन इस प्रकार बनाया जाए कि वे एक वर्ष में राज्य के न्यूनतम आधे जिलों को कवर कर सकें।
3. वर्तमान में ऑनलाइन बैठकों और समीक्षाओं की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें वे इस प्रकार की समीक्षा बैठक आयोजित कर अपने कतिपय कार्यों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। परन्तु यह कभी भी वास्तविक रूप से क्षेत्र भ्रमण का स्थान नहीं ले सकता। अतः जहां अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में समस्या आ रही हो, वहां विभागीय अनुमति से ऑनलाइन समीक्षा का कार्य किया जा सकता है, परन्तु वास्तविक रूप से क्षेत्र भ्रमण को अधिकाधिक रूप में पूर्ण किया जाए।
4. भ्रमण–निरीक्षण में सामान्यतः योजनाओं की नियमित समीक्षा पर ही बल दिया जाता है, परन्तु इसमें नवाचारों के अभिलेखीकरण और समस्याओं के निराकरण पर भी बल दिया जाए, ताकि राज्य स्तर पर नीतिगत रूप से प्रशासनिक समस्याओं को आवश्यकतानुसार दूर किया जा सके और इनमें यथोचित संशोधन प्रस्तावित किया जा सके।

5. नियुक्त जिला प्रभारी जिला स्तर पर आयोजित होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में राज्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे।
6. जिला प्रभारी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जिला स्तर के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा करेंगे, जिसमें जिला स्तर पर कार्यों की स्वीकृति, राशि हस्तान्तरण, उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों का समायोजन आदि की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जिला भ्रमण के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट IWMS या अन्य निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज की जायेगी।
7. राज्य स्तरीय योजना प्रभारी जिला प्रभारियों को अपनी–अपनी योजनाओं के संबंध में जारी होने वाले आदेश, परिपत्र, दिशा निर्देश आदि की प्रति के साथ जिलेवार प्रगति व लंबित बिंदुओं को भी नियमित रूप से भिजवायेंगे।
8. राज्य स्तरीय योजना प्रभारी प्रत्येक माह में भ्रमण के समय जिला प्रभारी अधिकारियों सें अपेक्षित कार्यों के संबंध में सूचना/सूचना परिपत्र आदि परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध करवायेंगे, जिससे संबंधित जिला प्रभारियों को अवगत कराया जा सके।
9. जिला स्तर पर समीक्षा बैठक, क्षैत्र भ्रमण आदि समस्त व्यवस्थाओं का उतरदायित्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
5. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएं।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. राज्य स्तरीय योजना प्रभारी .....।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
9. संबंधित अधिकारी श्री .....।
10. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

(बी. एल. वर्मा)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
जिला प्रभारी अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	आवंटित जिला
1.	श्री विजयपाल सिंह, अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), पंरा।	चूरू
2.	श्री प्रेम सिंह चारण, अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), पंराज।	पाली
3.	श्री मगन लाल योगी, उपायुक्त (विधि), पंचायती राज।	बाडमेर
4.	श्री बलदेव प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा।	चित्तौडगढ़
5.	श्री डा0 प्रवीण कुमार, उपायुक्त एवं संयुक्त शोसन सचिव(द्वितीय), पंराज।	राजसमंद
6.	श्री गोपाल सिंह, शासन उप सचिव (प्रशासन), गावि।	अजमेर, अलवर
7.	श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक, आईजीपीआरएस।	डूँगरपुर
8.	श्रीमती राधिका देवी, सहायक निदेशक, आईजीपीआरएस।	टोंक
9.	श्री सोमदत्त दीक्षित, राज्य परियोजना प्रबधंक, (प्रशासन), राजीविका।	धौलपुर
10.	श्रीमती निलिमा तक्षक, परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (नरेगा) , ग्रावि।	नागौर
11.	श्री बी.एल बर्मा, परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (एम एण्ड ई), ग्रावि।	जोधपुर
12.	श्री श्रीनिवास मीणा, वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।	भरतपुर
13.	श्री हुलासराय पंवार, वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज।	भीलवाड़ा
14.	श्री रमेश जैन, अधिशासी अभियंता, पी.एम.ए.वाई–ग्रामीण, ग्रावि।	सिरोही
15.	श्री मोहन सिंह, वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।	दौसा
16.	श्री हितबल्लभ शर्मा, परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (एसएपी–।।), ग्रावि।	कोटा,
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, मुख्य कार्य. अधि. एवं परि. निदे., बायोफ्यूल प्राधि.।	हनुमानगढ़
18.	श्री के. के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि।	बूंदी
19.	श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज।	जयपुर
20.	श्री के.के. सैनी, संयुक्त निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय।	जैसलमेर
21.	श्री धर्मपाल, संयुक्त निदेशक(प्रशा.),ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय।	उदयपुर
22.	श्री पुखराज मैशन, संयुक्त निदेशक,ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय।	बांसवाडा
23.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक,ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय।	सीकर
24.	श्री एल.एल. पहाड़िया, संयुक्त निदेशक (मोनिटरिंग), पंचायती राज।	सवाई माधोपुर
25.	श्री सोमेन्द्र शर्मा, संयुक्त निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण आयुक्तालय।	श्री गंगानगर
26.	श्री अरविन्द सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस	बीकानेर
27.	श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी (एसएपी–।।), ग्रावि।	झालावाड
28.	श्री लोकेश दाधीच, अधिशासी अभियंता, पी.एम.ए.वाई–ग्रामीण, ग्रावि।	प्रतापगढ
29.	श्री नितिन शर्मा, अधिशासी अभियंता, मनरेगा।	करौली
30.	श्री हितेन्द्र गेरा, संयुक्त निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण	जालौर
31.	श्री मोहन लाल बारूपाल, संयुक्त निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण	बारां
32.	श्री रामनिवास शर्मा, परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एस.ए.पी–।	झुंझनू